परिशिष्ट [5/8/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 382]

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला–टीकमगढ़ (म0प्र0)

E-mail: sp_tikamgarh@mppolice.gov.in ☎ 07683–242350

क्र0– पुअ/टीकम/विसप्र/ 25 /25 दिनांक 15.07.2025

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत टीकमगढ़ (म0प्र0)

विषय– विधान सभा अतारांकित प्रश्न कमांक 382 द्वारा मान0 विधायक श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ– क्रमांक– जि0पं0/स्था0/वि0स0/2025/2902 टीकमगढ़, दिनांक 12.01.25

--000--

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विधान सभा अतारंकित प्रश्न कमांक 382 द्वारा मान0 विधायक श्री श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर के प्रश्नांश "ख" की जानकारी चाही गई है, जो निम्नानुसार है :–

(ख) उत्तर– दिनांक 29.06.2009 को सूचनाकर्ता महेन्द्र सिंह तनय बृजेन्द्र सिंह राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी सिमरा खुर्द द्वारा अपने पिता बृजेन्द्र सिंह राजपूत की मृत्यु की सूचना देने पर थाना जतारा में मर्ग कमांक 45/09 धारा 174 जा0फौ0 कायम किया गया। मर्ग की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा की गई। मृतक बृजेन्द्र सिंह राजपूत का पी0एम0 कराया गया जिसमें डॉक्टर द्वारा पी0एम0 रिपोर्ट में मृत्यु का स्पष्ट कारण न देते हुये मृतक का विसरा प्रिजर्व किया था, जिसकी जांच एफ.एस.एल. सागर से कराई गई जांच रिपोर्ट दिनांक 18.08.2009 को प्राप्त हुई उक्त विसरा की जाँच रिपोर्ट में एल्युमिनियम फारफाइड सैल्फास कीटनाशक होना पाया गया।

मृतक बृजेन्द्र सिंह राजपूत की पत्नी पुक्खन बाई ग्राम सिमरा खुर्द जनपद पंचायत पलेरा की वर्ष 2004 से वर्ष 2009 की सरपंच रही है तथा वक्त घटना दिनांक 29.06.2009 को भी पुक्खन बाई सिमराखर्द की सरपंच थी तथा इसका पति बृजेन्द्र सिंह सिमरा खुर्द के संपरंच पद का पूर्ण कार्य देखता था। मृतक ने अपने सुसाईड नोट में लेख किया कि इसने कपिल धारा के कुये खुदवाये है और मजदूरों की मजदूरी पेमेन्ट नहीं हो पा रही है, इसके खाते मे पैसे नहीं है। जनपद पंचायत पलेरा के सी0ई0ओ0 एवम इंजीनियर इसे परेशान करना एवं एफआईआर करवाने की धमकी दे रहे है।

मृतक के सुसाईड नोट में गये तथ्यों की जांच की गई घटना दिनांक को मृतक के खाते में रूपये 2,43,474 /– था जो संलग्न बैंक स्टेटमेन्ट से स्पष्ट है। मृतक उक्त राशि से मजदूरों की मजदूरी दे सकता था। इस संबंध मे जनपद पंचायत पलेरा से प्राप्त दस्तावेज एवं जनपद पलेरा का जांच प्रतिवेदन के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत सिमराखुर्द में जून 2009 की स्थिति में 31.30 लाख रूपया कपिल धारा के तहत स्वीकृत किये गये थे। उपयंत्री एवं सहा0 यंत्री एवं सरपंच द्वारा कराये जा रहे कार्यों का मूल्यांकन/सत्यापन उपरान्त 16,28,619 रूपये का कार्य करना मौके पर पाया गया जबकि ग्राम सरपंच द्वारा कार्य पर 19,39,971 रूपये का व्यय करना अर्थात 3,89,723 रूपये अधिक आहरण कर व्यय करना पाया गया जबकि मात्र 6 कुऐ ही पूर्ण पाये गये शेष प्रगतिरत है। उक्त अधिक आहरण राशि एवं कार्यों के

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संबंध मे जनपद पंचायत पलेरा द्वारा ग्राम पंचायत सिगराखुर्द के सरपंच को पत्राचार एवं स्मरण पत्र जारी किये गये थे।

अतः संपूर्ण मर्ग जांच एवं जिला अभियोजन अधिकारी की राय से यह पाया गया कि मृतक वृजेन्द्र सिंह द्वारा अपनी पत्नी पुखन बाई सरपंच ग्राम पंचायत सिगराखुर्द के खाते से शासन के नियमों का उलंघन करते हुये शासन के नियमानुसार शासकीय कार्य पूर्ण न करवाने के बावजूद भी शासन की धन राशि का आवश्यकता से भी अधिक राशि का आहरण कर दुरूपयोग किया है। इसके इस आचरण पर शासन की कार्यवाही इसकी पत्नी सरपंच के खिलाफ प्रारंभ होने के डर के कारण मृतक वृजेन्द्र सिंह द्वारा अपने सुसाईट नोट में अपनी पत्नी सरपंच एवं परिवार के बचाओ हेतु शासकीय कर्मचारियों को झूठा फसाने के उददेशय से निराधार एवं असत्य सुसाईट नोट लेख कर आत्महत्या करना पाया गया है अन्य कोई जुर्मदस्तनदाजी का घटित होना नहीं पाया गया है।

सम्पूर्ण मर्ग डायरी मय प्रतिवेदन सहित पत्र क्र. 1628/10 दिनांक 27.05.2010 से फाईल हेतु अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) जतारा के माध्यम से अनुविभागीय मजिस्ट्रेट जतारा को भेजी गई जो अनुविभागीय मजिस्ट्रेट जतारा के आदेश क्र. 464/2010 दिनांक 27.07.2010 से फाईल की गई है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(विक्रम सिंह कुशवाह)
अति0 पुलिस अधीक्षक
हेतु– पुलिस अधीक्षक
टीकमगढ

प्रतिलिपि – 1– पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन सागर की ओर कृपया सादर सूचनार्थ।
2– उप पुलिस महानिरीक्षक छतरपुर रेंज छतरपुर की ओर कृपया सादर सूचनार्थ।

हेतु--पुलिस अधीक्षक
टीकमगढ़

उप संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल